


**ग्राहक विवरण (KYC) अद्यतन करने का फॉर्म**  
**राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक \_\_\_\_\_ शाखा**

सी.आई.एफ. नं:

**1. व्यक्तिगत विवरण**

नाम (आईडी प्रूफ के समान)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
खाता संख्या	<input type="text"/>				
पेशा प्रकार	<input type="checkbox"/> नौकरी ( <input type="checkbox"/> निजी क्षेत्र <input type="checkbox"/> सार्वजनिक क्षेत्र <input type="checkbox"/> सरकारी क्षेत्र ) <input type="checkbox"/> अन्य लोग ( <input type="checkbox"/> पेशेवर <input type="checkbox"/> स्व नियोजित <input type="checkbox"/> सेवानिवृत्त <input type="checkbox"/> गृहिणी <input type="checkbox"/> विध्यार्थी ) <input type="checkbox"/> व्यापार <input type="checkbox"/> अन्य ( _____ )			<b>फोटो</b> 	
वार्षिक आय/टर्न-ओवर	_____ लाखों में				

**2. पहचान जानकारी**

**अनिवार्य** : पैन नंबर  ( यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो **फॉर्म 80** प्रस्तुत किया जाना है )

नीचे दिए गए दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की स्व प्रमाणित फोटो कॉपी प्रस्तुत करनी है

पैन कार्ड  ड्राइविंग लाइसेंस  मतदाता पहचान पत्र  NREGA जॉब कार्ड  पासपोर्ट  राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया पत्र  
दस्तावेज संख्या :  आधार संख्या (स्वैच्छिक) :

**3. वर्तमान/स्थायी पते का विवरण**

पासपोर्ट  मतदाता पहचान पत्र  ड्राइविंग लाइसेंस  NREGA जॉब कार्ड  राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया पत्र  
दस्तावेज संख्या :

मैं अपनी स्वेच्छा/सहमती से अपना आधार नंबर प्रस्तुत करता/करती हूँ  (टिक मार्क लगाए)

आधार संख्या :

**3.1 वर्तमान/स्थानीय पता विवरण**

पक्ति 1	<input type="text"/>
पक्ति 2	<input type="text"/>
पक्ति 3	<input type="text"/>
जिला	<input type="text"/>
पिन / पोस्ट कोड	<input type="text"/>
राज्य	<input type="text"/>

**4. संपर्क विवरण**

मोबाइल नंबर:	<input type="text"/>	दूरभाष (घर)	<input type="text"/>	दूरभाष (कार्यालय)	<input type="text"/>
ईमेल आईडी:	<input type="text"/>				

**5. आवेदक घोषणा**

मैं अपना आधार कार्ड प्रति प्रस्तुत करता/करती हूँ और स्वेच्छा से आई.डी./एड्रेस प्रूफ के रूप में उपयोग करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ। (काट दें, अगर आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो।) मैं इस बात की घोषणा करता/करती हूँ कि प्रस्तुत विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं आपको उसमें होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में तुरंत सूचित करने का उपक्रम करता/करती हूँ। यदि उपरोक्त जानकारी को गलत या असत्य या भ्रामक या गलत पाया जाता है, मुझे पता है कि मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

दिनांक (DD-MM-YYYY):  -  -

स्थान:

**ग्राहक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान**

**केवल कार्यालय उपयोग के लिए**

1. पहचान का सबूत

2. पते का सबूत

3. ग्राहक विवरण (KYC) सत्यापन किया गया और CBS में  -  -  (दिनांक) को दर्ज किया गया।

मेकर \_\_\_\_\_

चेकर \_\_\_\_\_

# ग्राहक विवरण (KYC) डाक्यूमेंट्स

## व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए

पैन कार्ड कि फोटो कॉपी (यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो फॉर्म 60 प्रस्तुत करना है)।

एवं

पहचान और पते वाले आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (OVD) की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी है। आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है :-

- ड्राइविंग लाइसेंस
- मतदाता पहचान पत्र
- NREGA जॉब कार्ड, राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित
- पासपोर्ट
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया पत्र ।
- आधार कार्ड कि फोटो कॉपी/ई-आधार को पहचान/पते का सबूत के लिए दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, यदि स्वेच्छा से प्रस्तुत किया जाता है ।

## गैर व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए

### 1. एकल स्वामित्व दृढ़ (Sole Proprietorship firm):

- प्रोप्राइटर की ओर से एकल स्वामित्व की घोषणा, अगर फर्म अपंजीकृत है।
- यदि खाते को प्रोप्राइटर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाना है, तो प्रोप्राइटर के हस्ताक्षरित शासनादेश / नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी।
- प्रोप्राइटर के व्यक्तिगत पैन कार्ड की फोटोकॉपी।
- आवेदक ने पैन के लिए आवेदन किए जाने के मामले में फॉर्म 60 के साथ विधिवत रूप से स्वीकृत फॉर्म 49 (ए) की प्रति।
- प्रोप्राइटर और हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए खाता के संचालन के लिए अनिवार्य साक्ष्य दस्तावेज (यदि कोई)
- फर्म के नाम, पते और गतिविधि की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई दो (दस्तावेज फर्म के नाम में होने चाहिए):
  - ✓ रजिस्ट्रार, फर्म, सोसायटी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र
  - ✓ दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र या लाइसेंस।
  - ✓ फर्म का आयकर रिटर्न।
  - ✓ GSTIN (माल और सेवा कर पहचान संख्या)
  - ✓ उपयोगिता बिल
  - ✓ अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म के पते का उल्लेख एंटीटी प्रूफ डॉक्यूमेंट में नहीं किया गया है या यदि डॉक्यूमेंट में बताए गए से कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, तो कम्युनिकेशन एड्रेस प्रूफ अलग से प्रस्तुत करना होगा।

### 2. साझेदारी फर्म (Partnership firm):

- पार्टनरशिप डीड की फोटो कॉपी
- साझेदारी के गठन के संबंध में बैंक को संबोधित पत्र।
- सभी भागीदारों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पैन। यदि आवेदक ने पैन के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो स्वीकृत फॉर्म 49 (ए) की प्रति प्रस्तुत करनी है।
- फर्म के नाम पर जारी किया गया एंटीटी प्रूफ दस्तावेज।
- सभी भागीदारों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का आईडी प्रूफ कि फोटो कॉपी।
- सभी भागीदारों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का पता प्रमाण कि फोटो कॉपी।
- यदि संचार पता पंजीकृत पते से अलग है, तो संचार पते का प्रमाण भी आवश्यक है।

### 3. निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी (Private and Public Ltd. Company):

- बोर्ड संकल्प की प्रमाणित प्रति। प्रमाणित निदेशक का नाम कंपनी द्वारा प्रस्तुत निदेशकों की सूची में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए।
- अपने पते के साथ सभी निदेशकों की नवीनतम सूची। सूची को कंपनी सचिव या निदेशक द्वारा तिथि के साथ हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- कंपनी का पैन। यदि कोई नई कंपनी खाता खोलना चाहती है और पैन कार्ड जारी करना बाकी है, तो फॉर्म 49 (ए) में पावती जमा करनी होगी।
- निगमन प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation)
- संस्था का ज्ञापन (Memorandum of Association)
- संस्था का लेख (Articles of Association)
- व्यवसाय का प्रारंभ का प्रमाण पत्र (पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में)
- कंपनी के राउंड रबर स्टॉप या सील द्वारा सत्यापित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान प्रमाण।
- कंपनी के नाम में संचार पता प्रमाण, अगर निगमन प्रमाणपत्र में पता अलग है / शामिल नहीं है।
- पंजीकृत पता प्रमाण, यदि पता निगमन प्रमाणपत्र, संस्था का ज्ञापन, संस्था का लेख या व्यवसाय का प्रारंभ का प्रमाण पत्र में पता अलग है / शामिल नहीं है।

### 4. ट्रस्ट्स (TRUSTS)

- पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि
- ट्रस्ट डीड की प्रमाणित प्रतिलिपि
- इनकम टैक्स रूल्स 1962 में परिभाषित पैन नंबर ऑफ फॉर्म या फॉर्म 60, जो अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए एक वकील रखने वाले व्यक्ति (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) को जारी किया जाता है।